

**आदेश**

बोर्ड ने अधिसूचना संख्या 12(17)/LC/2008/Part-III/213, दिनांक 12.09.2022 के द्वारा 2022 की सर्दियों की शुरुआत के लिए विनिर्माण गतिविधियों को बंद करने के निर्देश जारी किए, जो इस प्रकार हैं:

| क्र.सं. | विवरण                                                                                                                                                               | दार्जिलिंग हिल्स, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सभी ऊंचाई पर स्थित निर्माण इकाइयों के लिए कार्यान्वयन की तिथि | पश्चिम बंगाल और बिहार के डुआर्स और तराई क्षेत्रों में स्थित निर्माण इकाइयों के लिए कार्यान्वयन की तिथि |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i.      | सभी चाय कारखानों के लिए हरी पत्ती प्राप्त करने की अंतिम तिथि                                                                                                        | 3 दिसम्बर 2022                                                                                                          | 17 दिसम्बर 2022                                                                                        |
| ii.     | सभी इकाइयों के लिए कारखाने में हरी पत्ती के प्रसंस्करण की अंतिम तिथि                                                                                                | 5 दिसम्बर 2022                                                                                                          | 20 दिसम्बर 2022                                                                                        |
| iii.    | सभी चाय निर्माण इकाइयों द्वारा उनके विनिर्माण को बंद करने के संबंध में टी बोर्ड को सूचना/घोषणा की अंतिम तिथि                                                        | 6 दिसम्बर 2022                                                                                                          | 21 दिसम्बर 2022                                                                                        |
| iv.     | छंटार्ह, गैपिंग, पैकिंग (सीटीसी और ऑर्थोडॉक्स/ग्रीन टी) को पूरा करने और इनवॉइस मार्किंग के साथ पैक चाय को अधिसूचित पैक चाय भंडारण क्षेत्र में ले जाने की अंतिम तिथि | 16 दिसम्बर 2022                                                                                                         | 31 दिसम्बर 2022 (सीटीसी चाय विनिर्माण हेतु)<br>5 जनवरी 2023 (ऑर्थोडॉक्स/ग्रीन टी विनिर्माण हेतु)       |

बोर्ड को उत्तर बंगाल के विभिन्न बागानों से चाय तोड़ने व चाय विनिर्माण की अनुमति देने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि बागानों के कुछ हिस्से में तोड़ने योग्य कोपलों का उत्पादन किया जा रहा है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के खंड 13(3) के तहत पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वे बागान जो तोड़ने योग्य हरी पत्तियों में से ऑर्थोडॉक्स स्पेशलिटी चाय का उत्पादन कर सकते हैं, यदि कोई है, तो वे बोर्ड के किसी औपचारिक आदेश/स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा किए बिना ऐसी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।



उपाध्यक्ष, टी बोर्ड एवं  
पंजीकरण प्राधिकारी

**वितरण:**

1. संबंधित क्षेत्र के सभी चाय उत्पादक संघ।
2. संबंधित क्षेत्र की सभी खरीदी हुई लीफ टी प्रोड्यूसर एसोसिएशन।
3. संबंधित क्षेत्र के सभी लघु चाय उत्पादक संघ।
4. संबंधित क्षेत्र में स्थित टी बोर्ड के सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय - सभी चाय निर्माताओं, चाय संघों, जिला ग्रीन लीफ प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के बीच प्रसार और आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए।